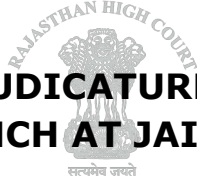


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2353/2026

Arvind Meena S/o Banwari Lal Meena, R/o Tikari Jafran,
Salimpur, Mahua, District Dausa.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mogar Pal Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

20/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना- खौ-नागोरियान, जिला- जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 05/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 110, 303(2), 191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने को तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा में अनुसंधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट परिवादी ने मारपीट करने के संदर्भ में प्रस्तुत की है और मारपीट के फलस्वरूप परिवादी के 10 चोटें आना अभिलेख पर आया है और जिसमें चोट संख्या 1, 2 व 6 गंभीर प्रकृति की पाई गई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ

में यह तथ्य भी आया है कि अन्य सहअभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत भी प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी से बचा है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अपने निवास स्थान से वह रूहपोश चल रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों को परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अरविन्द मीणा पुत्र बनवारी लाला मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J